

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 जनवरी 2023—पौष 14, शक 1944

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2023

क्र. एफ. 11-3-2021-सात-शा. 7.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्र. 11-9-2021-एम एण्ड जी, दिनांक 05 नवम्बर, 2021 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्वारा, टीकमगढ़ जिले के ग्राम “शिवपुरी” का नाम परिवर्तित कर “कुण्डेश्वर धाम” करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2023

क्र. एफ. 11-3-2021-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 11-3-2021-सात-शा. 7, दिनांक 04 जनवरी, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th January 2023

No. F. 11-3-2021-VII-Sec. 7.—In pursuance of no objection conveyed by Government of India, Ministry of Home Affairs vide their letter No. 11-9-2021-M & G, dated the 05th November, 2021 the State Government, hereby, change the name of village of “SHIVPURI” District Tikamgarh as “KUNDESHWAR DHAM” with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2023

क्र. एफ. 11-5-2021-सात-शा. 7.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्र. 11-25-2021-एम एण्ड जी, दिनांक 12 मई, 2022 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्द्वारा, टीकमगढ़ जिले के ग्राम “अचर्रा” का नाम परिवर्तित कर “आचार्य धाम” करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2023

क्र. एफ. 11-5-2021-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 11-5-2021-सात-शा. 7 दिनांक 04 जनवरी, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th January 2023

No. F. 11-5-2021-VII-Sec. 7.—In pursuance of no objection conveyed by Government of India, Ministry of Home Affairs *vide* their letter No. 11-25-2021-M & G, dated the 12th May, 2022 the State Government, hereby, change the name of village of “ACHRRA” District Tikamgarh as “AACHARYA DHAM” with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl. Secy.